भूमिराम बनाम भूमिधारी तहसीलदार

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज
	प्रा०पत्र पत्थरगढ़ी अन्तर्गत धारा — 3/2022
15-9-22	पत्रावली पेश हुई। वकलाय फरीकैन उप./अनुपस्थित। पीठासीन अधिकारी दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त/मीटिंग में है। पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 6-10-22 को पेश हो। रीडर उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)
6-10-22	पत्रावली पेश हुई। वकलाय फरीकैन उप./अनुपस्थित। पीठासीन अधिकारी दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त/मीटिंग में है। पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 24-11-22 को पेश हो। रीडर उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)
24.11.22	पत्रावली पेश हुई। वकलाय फरीकैन उप./अनुपस्थित। पीठासीन अधिकारी दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त/मीटिंग में है। पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 12.12.22 को पेश हो।
12.12.2022	पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित। प्रकरण में भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर से वस्तुस्थिति की तथ्यात्मक जॉच रिपोर्ट जरिये पत्रांक 2779/भू.अ./22 दिनांक 02.11.2022 के द्वारा प्राप्त हुई। जो शामिल पत्रावली की गई। प्रकरण में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से वस्तुस्थिति की तथ्यात्मक जॉच रिपोर्ट प्राप्त हो जाने से वकील प्रार्थीगण ने आज ही बहस सुनी जाकर प्रार्थना पत्र पत्थरगढ़ी का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया। [illegible] प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढ़ी स्वीकार किये जाने योग्य नहीं पाये जाने पर अस्वीकार की खारीज की जाती है। प्रकरण में मेरे द्वारा विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। 12/12/22 (दिलीप सिंह) उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर(सीकर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.12.16 16:48:00 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0
पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
37/2022	2022/204	11.07.2022	12.12.2022

उनवान प्रकरण

1. मुक्तिराम पुत्र छोटूराम उम्र 59 साल
2. बाबूलाल पुत्र रामेश्वर उम्र 36 साल

समस्त जाति माली निवासी ग्राम झाड़ली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

—प्रार्थीगण

बनाम्

भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

——अप्रार्थी

उपस्थितः—

श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा, एड0 प्रार्थीगण अभिभाषक।
सरकारी पैरोकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर अप्रार्थी की ओर से।

प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढ़ी

—:: निर्णय ::—

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक वाद खिलाफ अप्रार्थी के इस आशय से प्रस्तुत किया कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 3374, 3375, 3376, 3377, 3393, 3394, 3397, 3403, 3404 कुल किता ... क्षेत्रफल 5.5600 हैक्टर तन् ग्राम झाड़ली पटवार हल्का झाड़ली भू-अभिलेख निरीक्षक ... तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में अवस्थित है। जिसके खातेदार काश्तकार प्रार्थीगण एवं उसके परिजन भू-अभिलेख जमाबंदी में दर्ज हिस्सानुसार होकर भूमि पर पूर्णत काबिज काश्त चले आ

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.12.16 16:48:00 IST
Reason: SelfAttested

12/12/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

रहे हैं। प्रार्थीगण व उसके परिजनों ने अपनी खातेदारी व कब्जा काश्त की कृषि भूमि में का विधिवत सीमाज्ञान दिनांक 05.06.2022 को तहसीलदार श्रीमाधोपुर के आदेश कमांक 16 दिनांक 20.04.2022 की पालना में करवा लिया है। फर्द मौका रिपोर्ट प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न है। प्रार्थीगणं व उसके परिजनों की खातेदारी व कब्जा काश्त की कृषि भूमि की पत्थरगढी सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 05.06.2022 के अनुसार करवाया जाना न्यायोचित व आवश्यक है। प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कृषि भूमि खसरा नम्बर 3374, 3375, 3376, 3377, 3393, 3394, 3397, 3403, 3404 कुल किता–9 कुर क्षैत्रफल 5.5600 हैक्टर तन ग्राम झाड़ली पटवार हल्का झाड़ली, तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर की पत्थरगढ़ी फर्द मौका सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 05.06.2022 के अनुसार किये जाने के आदेश अप्रार्थी भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर को प्रदान करने का निवेदन प्रार्थीगण द्वारा किया गया है।

इस पर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढ़ी को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की नोटिस तामील असालतन होने के बावजूद भी उपस्थित नहीं आने पर अप्रार्थी के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों के सम्बन्ध में भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर से वस्तुस्थिति की तथ्यात्मक जॉच रिपोर्ट चाही गई। जिसकी पालना में तहसीलदार (भू.अ.) श्रीमाधोपुर ने जरिये पत्रांक 2779/भू.अ./22 दिनांक 02.11.2022 के द्वारा अवगत कराया है कि :–

ग्राम झाड़ली के भूमि खसरा न0 3374 किता 9 रकबा 5.56 है0 की खातेदारी गिरधारी लाल पुत्र रामेश्वर, मुक्ति राम पुत्र छोटू जाति माली वगैरह के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। मुताबिक पटवारी हल्का झाड़ली की मौका एवं जांच रिपोर्ट के भूमि खसरा नम्बर 3377, 3376, 3397, 3[illegible] 3394, 3393 से 3404, 3403, 3403, 3394 व 3393 पर अन्य [illegible] का कब्जा [illegible] सीमाज्ञान नहीं हो सका तथा शेष खसरा नम्बरों का सीमाज्ञान करवा दिया जाने बाबत अवगत कराया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.12.16 16:48:00 IST
Reason: SelfAttested

12/12/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

प्रकरण में भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर से वस्तुस्थिति की तथ्यात्मक जॉच रिपोर्ट प्राप्त हो जाने से वकील प्रार्थीगण ने आज ही बहस सुनी जाकर प्रार्थना पत्र पत्थरगढ़ी का अन्तिम निस्तारण किये जाने का निवेदन किया गया।

हमने वकील प्रार्थीगण की बहस एकपक्षीय सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा वकील प्रार्थीगण द्वारा की गई बहस पर सगौर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं राजस्व रिकॉर्ड अंतिम चौसाला आधार जमाबंदी सम्वत् 2074–2077, फर्द सीमाज्ञान रिपोर्ट, नजरी नक्शा व रिपोर्ट तहसीलदार श्रीमाधोपुर की रिपोर्ट इत्यादि का अवलोकन किया गया।

वकील प्रार्थीगण की एक पक्षीय बहस व रिकार्ड इत्यादि के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वादग्रस्त भूमियों खसरा नम्बर 3374, 3375, 3376, 3377, 3393, 3394, 3397, 3403, 3404 कुल किता–9 कुर क्षैत्रफल 5.5600 हैक्टर तन ग्राम झाड़ली पटवार हल्का झाड़ली, तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर की खातेदारी प्रार्थीगण व 16 अन्य पक्षकारान् के नाम से खातेदारी दर्ज राजस्व रिकार्ड है। जिनमें अन्य 16 पक्षकारान् को वकील प्रार्थीगण के द्वारा आवश्यक पक्षकार होने के बावजूद भी पक्षकार नहीं बनाया गया है एंव ना ही उक्त भूमियों के सींवजोड़ खातेदारान् काश्तकारान् को ही आवश्यक पक्षकार ही बनाया गया है। केवल मात्र भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर को पक्षकार अप्रार्थी बनाकर उक्त प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढ़ी का न्यायालय में पेश किया गया है। तहसीलदाए श्रीमाधोपुर से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार भी भूमि खसरा नम्बर 3377, 3376, 3397, 3404, 3403, 3394, 3393 से 3404, 3403, 3403, 3394 व 3393 पर अन्य व्यक्तियों का कब्जा होने से आंशिक सीमाज्ञान नहीं किये जाने तथा शेष खसरा नम्बरों का सीमाज्ञान करवा दिये जाने बाबत प्रकट होता है। अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढ़ी अन्य कब्जाधारी व्यक्तियों से कब्जा लिये जाने के उद्देश्य मात्र से न्यायालय के समक्ष पेश किया जाना प्रकट होता है। जिसके कारण अन्य सह काश्तकारों को एंव अन्य सींव जोड खातेदारान को आवश्यक पक्षकार नहीं बनाये जाने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढ़ी स्वीकार किये जाने योग्य न्यायोचित प्रतित नहीं होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.12.16 16:48:00 IST
Reason: SelfAttested

12/12/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

–:: आदेश ::–

अतः उपयुर्क्त विश्लेषण से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढ़ी स्वीकार किये जाने योग्य नहीं पाये जाने पर अस्वीकार कर खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हों।

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

यह निर्णय आज दिनांक 12.12.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.12.16 16:48:00 IST
Reason: SelfAttested